

09/11/23

पतावली पेश हुई। अधि. उपप पक्षभारान उप।
प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा जायना-पत्र विज्ञा
का पेश कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहकर इसी स्तर जायना-पत्र विज्ञा किता जाये
का निवेदन किता। प्रकरण में जायना उप। जायना की
पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। विपक्षी
अधिवक्ता द्वारा जायना-पत्र विज्ञा पर कोई आपत्ति
नहीं जताकर No objection किता गया। अतः प्रकरण
में जायना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कोई
कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को इसी
स्तर पर शीप किता जाता है। पतावली मसल
शुभार हीकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।



पति. भानी लाल
अ. (अधी)

Undertaken
by me

(Signature)

